न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा RAS)

प्रकरण संख्या :– 143/2024 जी.सी.एम.एस. संख्या :– 2024/39

1. संग्राम सिंह पुत्र गिर्राज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झीझा तहसील तूंगा जिला जयपुर।

–:प्रार्थी:–

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।
2. राधा किशन पुत्र नारायण
3. सीताराम पुत्र राधाकिशन
4. गोपाल लाल पुत्र राधाकिशन
5. राजूलाल पुत्र राधाकिशन
6. धापूदेवी पत्नी राधाकिशन
7. भौरीदेवी पत्नी सीताराम
8. ताराचन्द पुत्र सीताराम
9. करण पुत्र सीताराम
10. गीतादेवी पत्नी गोपाल
11. अजीत पुत्र गोपाल
12. कालू पुत्र गोपाल
13. घनश्याम पुत्र गोपाल
14. सन्तोष देवी पत्नी राजूलाल
15. मनोज पुत्र कालू
16. गैन्दीलाल पुत्र ग्यारसा
17. कमलादेवी पत्नी गैंदीलाल
18. रामजीलाल पुत्र ग्यारसा
19. प्रभुदयाल पुत्र ग्यारसा
20. दूलीचन्द पुत्र सीताराम
21. बाबूलाल पुत्र सीताराम

समस्त जाति बैरवा निवासी झींझा तहसील तूंगा जिला जयपुर।

–:अप्रार्थीगण:–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–श्री सुधीर शर्मा, एड0–प्रार्थी।

–:निर्णय:– *दिनांक 19/09/2025*

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेंश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6 कुल किता 8 कुल रकबा 3.1866 है0 वाके ग्राम झींझा पटवार हल्का देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार तूंगा के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 13.06.2017 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थी उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6 कुल किता 8 कुल रकबा 3.1866 है0 वाके ग्राम झींझा पटवार हल्का देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार तूंगा जिला जयपुर की दिनांक 13.06.2017 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 21 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार तूंगा पत्रांक भू.अ./2025/1676 दिनांक 23.04.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशल है।

3. अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 13.06.2017 के अनुसार पत्थरगढी के

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर

आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या नया 82 खसरा नम्बर 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6 कुल किता 8 कुल रकबा 3.1866 है0 वाके ग्राम झींझा पटवार हल्का देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर की नकल पेश की।

4. बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 खाता संख्या नया 82 खसरा नम्बर 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6 कुल किता 8 कुल रकबा 3.1866 है0 वाके ग्राम झींझा पटवार हल्का देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 13.06.2017 व तहसीलदार रिपोर्ट द्वारा दिनांक 23.04.2025 पेश रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तूंगा के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 13.06.2017 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके नोर्म्स इस प्रकार है कि :-

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly-

Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थी द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या नया 82 खसरा नम्बर 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6 कुल किता 8 कुल रकबा 3.1866 है0 वाके ग्राम झींझा पटवार हल्का देवगांव तहसील तूंगा जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार तूंगा को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2017 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौंके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। तहसीलदार तूंगा को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(डॉ. गरिमा शर्मा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बस्सी, जयपुर (राज.)